


**न्यायालय जिला कलेक्टर नागौर**  
नगर पालिका पि.अर.सी. फं. 332/04

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मम इतिशियतया जज सहकारीदार नागौर बनाम शाशदा नको	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
30/5/19	<p>पत्रावली उपस्थित। श्रीमान् पी. ओ. साहब प्रशासनिक कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली आईन्दा दिनांक... को पेश हो।</p> <p align="right">01/14/19</p>	
4/8/19	<p>पत्रावली उपस्थित। श्रीमान् पी. ओ. साहब प्रशासनिक कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली आईन्दा दिनांक... को पेश हो।</p> <p align="right">01/14/19</p>	
8.8.19	<p>यादास्त पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर द्वारा मुकदमा नम्बर अपील 90बी-21/06 शाशदा बनाम सरकार के क्रम में इस प्रकरण की मूल पत्रावली इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 29.11.2006 के सन्दर्भ में चाही जाने पर इस न्यायालय के पत्रांक 386 दिनांक 03.02.2007 से श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर को भिजवाई हुई है। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)(8)नियम/डी.एल. बी./15/5843-6274 दिनांक 10.06.2016 के अनुसार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) के अधीन सम्पति के अन्तरण और संविधा से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई का निस्तारण करने हेतु श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, को प्राधिकृत किये जाने से, इस प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर को होने से मूल पत्रावली श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय को उपर्युक्तानुसार भिजवाई हुई है। अतः यादास्त पत्रावली में कोई कार्यवाही इस न्यायालय स्तर पर शेष नहीं रहने से यादास्त पत्रावली बंद की जाती है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p align="right">   <b>(दिनेश कुमार यादव)</b>  <b>जिला कलेक्टर, नागौर</b> </p>	